



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-331

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313509 दिनांक 09/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Radhey Shyam Verma S/o RAMESHWAR PRASAD VERMA	श्रीमती ज्योति वर्मा पत्नी श्री राधेश्याम वर्मा	4	341.25 SQ. YARD	Cooperative	CHITRAKOOT COLONY	Name Transfer	आवेदक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा श्री लक्ष्मी नारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना चित्रकूट कॉलोनी के आवासीय भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 341.25 वर्ग मी का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 20.03.2002 को श्रीमती ज्योति वर्मा के नाम जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08.08.2022 के आधार पर अपने पति श्री राधेश्याम वर्मा के पक्ष में निष्पादित की गई है। लीजधारक श्रीमती ज्योति वर्मा की मृत्यु दिनांक 29.04.2023 को हो चुकी है। प्रश्नगत प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।
---	--	---	---	--------------------	-------------	----------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Radhey Shyam Verma S/o RAMESHWAR PRASAD VERMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |